/font>

12.16 hrs.

STATEMENT BY MINISTER*

PROGRESS ON THE ACTION TAKEN

PURSUANT TO RECOMMENDATIONS OF JPC

ON STOCK MARKET SCAM

Title: Statement regarding progress on the action taken pursuant to recommendations of JPC on Stock Market Scam.

वित्त मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : स्पीकर साहब, मुझे खेद है कि जब आपने पहले मेरा नाम पुकारा था तो उस वक्त मैं हाउस में गैरहाजिर था। कुछ आग्रह ही ऐसा था कि मुझे बाहर जाना पड़ा। मैं यहां उसे टेबल नहीं कर सकता हूं।

MR. SPEAKER: It is perfectly all right. I have informed the Members.

श्री जसवंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे संयुक्त संसदीय समिति की अनुशंसाओं के अनुसरण में कार्रवाई सम्बन्धी प्रगति रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है। इस संयुक्त संसदीय समिति ने 19.12.2002 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। की गई कार्रवाई रिपोर्ट 9 मई, 2003 अर्थात ठीक 6 महीने की अवधि के भीतर प्रस्तुत की गई थी। जैसी कि संयुक्त संसदीय समिति ने इच्छा व्यक्त की थी, सरकार संसद की पूर्ण संतुटि होने तक 6 महीने के अन्तरालों पर की गई कार्रवाई की आवधिक रिपोर्टें प्रस्तुत करती रहेगी।

सरकार को संयुक्त संसदीय समिति के विमर्शों से बहुत लाभ हुआ है और यह समिति के व्यापक और कीमती सुझावों के लिए इसकी आभारी है। जबकि सेबी अधिनियम का संशोधन और भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम का निरसन जैसे कुछ विधायी उपाय पहले ही प्रभावी हो चुके हैं, स्टॉक एक्सचेंजों का पृथक्कीकरण और निगमीकरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिभूति संविदा (विनिमय) अधिनियम में संशोधन और सहकारी बैंकों के बेहतर नियिमन के लिए बैंकिंग विनिमय अधिनियम में संशोधन जैसे अन्य प्रस्ताव संसद के समक्ष हैं।

सरकार कम्पनी कानून (संशोधन) विधेयक तथा सरकारी प्रतिभूति विधेयक, 2003 जैसे अन्य विधान लाने पर भी विचार कर रही है।

पिछली तथा वर्तमान की गई कार्रवाई रिपोर्ट के मध्य कई उपाय किए गए, जिनमें वित्तीय बाजारों पर नियमित नजर रखने के लिए अतिरिक्त संस्थागत तंत्र की स्थापना, विनियामकों तथा जांच एजेंसियों के साथ समन्वय तंत्र की स्थापना, तारापोर समिति द्वारा चिन्हित 89 कंपनियों में भारतीय यूनिट ट्रस्ट के द्वितीयक बाजार में निवेश निर्णयों के बारे में सेबी को संदर्भ, गम्भीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय की स्थापना, इत्यादि सम्मिलित हैं। जबकि विधायी अधिदेशों के अभाव में कुछ सिफारिशें लम्बित हैं, अन्य सिफारिशें न्यायालय में चल रही जांच अथवा न्यायिक कार्यवाहियों के पूरा होने के पश्चात ही कार्यान्वित की जा सकती हैं। सरकार सतत आधार पर प्र ागति का अनुवीक्षण कर रही है तथा चल रहे जांच कार्यों में अच्छी प्रगति रही है। हमारा प्रयास होगा कि जहां भी कोई कार्रवाई लम्बित हो, उसे शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जाये।

* Also Placed in Library, See No. LT. 8262/2003

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर बहस होनी चाहिए।

â€¦ (व्यवधान)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL (CHANDIGARH): Sir, no action has been taken against the people who are guilty of certain acts of malfeasance. We would request you to kindly have a debate in the House on this matter.â€¦ (*Interruptions*) इस पर चर्चा करवाइये।â€¦ (व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह : सेबी की भूमिका तो इसमें और भी संदिग्ध है, आप इस पर चर्चा करवाइये।â€¦ (व्यवधान)

SHRI RAMESH CHENNITHALA (MAVELIKARA): Nobody has been made accountable....(*Interruptions*)

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : यह मामला बहुत गम्भीर है, इस पर चर्चा होनी चाहिए।â€¦ (व्यवधान)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : An inadvertent Action Taken Report presented to the House is not enough....(*Interruptions*) It is the planned report that has been presented to the House. It is not enough. It is not satisfactory....(*Interruptions*)

श्री जसवंत सिंह :आप लोग तशरीफ रखिये। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदस्यों के विचारों से सहमत हूं कि इस पर बहस होनी चाहिए। वैसे मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, जो माननीय पवन कुमार बंसल जी ने कही, पर निश्चित रूप से बहस होनी चाहिए। एक जोइंट पार्लियामेंटरी कमेटी ने इतना काम किया, उस पर इतना ि वचार किया और फिर संसद में विस्तृत बहस न हो,

यह हमें भी स्वीकार नहीं है। हम भी चाहते है कि बहस हो। आप अपने कायदों के अनुसार तय कर लीजिए सरकार की ओर से उस बहस पर हमें कोई आपत्ति नहीं

है। हम तो चाहेंगे कि बहस हो। उसमें जो प्रगति हुई है या नहीं हुई है, वह सब ब्यौरा आ सकेगा।